उप निबंधक कार्यालय — क्रम सं० 81

Sub Registrar-[illegible]

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक — 04-Jan-2012

प्रस्तुतकर्ता या वादी का नाम — [illegible] प्रसाद

लेख का प्रकार — [illegible]

प्रतिफल की धनराशि 2,326,000.0 [illegible]

1 रजिस्ट्रीकरण शुल्क 10,000.0

2 प्रतिलिपिकरण शुल्क 20

3 निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 मुख्तारनामे के अधिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क

5 कमीशन शुल्क

6 विविध

7 यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 10,020.0

शुल्क वसूल करने का दिनांक 04-Jan-2012

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 04-Jan-2012

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 059004

डेवलपर एग्रीमेंट

(1) रामजतन प्रसाद पुत्र स्वर्गीय केदार प्रसाद निवासी मकान नम्बर एन-9/46, मोहल्ला पटिया, वार्ड नगवां, परगना देहात अमानत, तहसी व जिला वाराणसी (2) उदय नारायन पुत्र लालचन्द निवासी मकान नम बी-32/16, मोहल्ला नरियां, वार्ड भेलूपुर, परगना देहात अमा तहसील व जिला वाराणसी। ....प्रथम पक्ष / जमीन मा

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23 APR 2011

B 059003

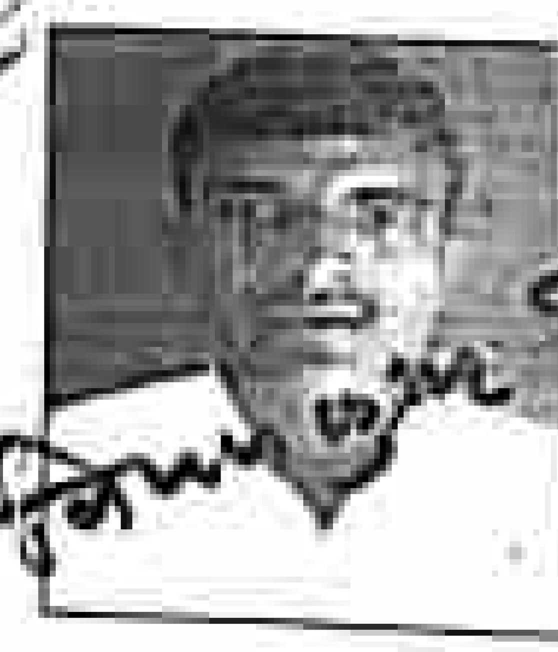

— व —

मेसर्स अंजनी रियलटर्स, बी-31/30, लंका, वाराणसी बजरिये पार्टनर अनुज कुमार डिडवानिया पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश डिडवानिया, निवासी 44ए लेन नम्बर-5 रविन्द्रपुरी कालोनी, वाराणसी व गोविन्द केजरीवाल पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल केजरीवाल निवासी बी-31/30, लंका, वाराणसी व अनूप कुमार सर्राफ पुत्र स्वर्गीय मदनलाल सर्राफ निवासी गुरुधाम कालोनी, वाराणसी।

......................द्वितीय पक्ष/डेवलपर्स

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 667828

—व—

विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय मेवालाल निवासीगण एन-9/46सी-1, बड़ी पटिया, वार्ड नगवां, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी।

..........तृतीयपक्ष/ पुष्टिकर्तागण

विदित हो कि प्रथम पक्ष भवन संख्या एन–9/46–1 स्थित आराजी नम्बर 38/1 का जुज रकबा 4787 वर्गफीट यानि 444.88 वर्गमीटर स्थित मोहल्ला पटिया, वार्ड नगवां, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी के मालिक व काबिज दखील हैं और उस पर वास्तविक रूप से बतौर मालिकान कब्जे में भी है। जायदाद उपरोक्त में प्रथम पक्ष के अलावा कोई अन्य व्यक्ति सहमालिक या सहहिस्सेदार नहीं है और उपरोक्त भू–स्वामी प्रथम पक्ष इस बात की घोषणा व पुष्टि करते है कि उपरोक्त भूमि हर प्रकार के भार, चार्ज, क्लेम व विवाद से पूरी तरह से मुक्त है और उसके सम्बन्ध में अर्जन की कोई कार्यवाही न की गयी है और न विचाराधीन है। उपरोक्त भू–स्वामी प्रथम पक्ष उक्त भूमि को अपनी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

CHIEF TREASURY OFFICER Varanasi (A)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 667830

इच्छानुसार सम्पूर्ण स्वत्व व अधिकार रखते हुए उसको हस्तान्तरित करने हेतु स्वतंत्र है और उपरोक्त भू-स्वामी प्रथम पक्ष उक्त भूमि को फ्लैट/रिहायशी मकान/व्यावसायिक काम्पलेक्स/रो-हाउसिंग के रूप में विकसित करने हेतु इच्छुक है परन्तु वित्त की कमी एवं निर्माण का अनुभव न होने के कारण स्वयं उस कार्य को करने मे असमर्थ है और यह भी ज्ञात हो कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष जो पार्टनरशीप फर्म है उसको ऐसे काम्पलेक्स के विकास करने एवं निर्माण करने का वृहद अनुभव है तथा तकनीक से पूर्णरूप से भिज्ञ है और वित्तीय रूप से भी सक्षम है एवं व फ्लैट/रिहायशी मकान/व्यवसायिक काम्पलेक्स /रो-हाउसिंग के निर्माण करने व विकसित करने में भी सक्षम है और पुनः ज्ञात हो कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भू-स्वामी प्रथम पक्ष ने विकासकर्ता द्वितीय पक्ष से उपरोक्त भूमि पर विकास करके उस पर फ्लैट/रिहायशी मकान/व्यवसायिक काम्पलेक्स/रो-हाउसिंग निर्मित करने का निवेदन किया साथ ही यह भी निवेदन किया कि नक्शे के अनुरूप निर्माण करावे और पक्षों के बीच यह भी तय पाया गया है कि द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्डों पर निर्माण व विकास करने के एवज मे निर्मित व अनिर्मित का 66 प्रतिशत अंश पाने के अधिकारी होगें जिसका उपयोग व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000.

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

S 667829

उपभोग व निस्तारण अपनी इच्छानुसार करने के लिए स्वतंत्र है व रहेगें उभय पक्षों ने आपस में तयशुदा शर्तो को लिपिबद्ध करना तय किया ताकि भविष्य में कोई मतभेद या विवाद न उत्पन्न हो। अतः उभयपक्ष अपने–अपने स्वस्थ शारीरिक व मानसिक अवस्था में व बिना किसी प्रलोभन व नाजायज जोर दवाव के यह डेवलपर्स एग्रीमेन्ट तहरीर कर निम्न शर्तो से आबद्ध होते है:–

01. यह कि भू–स्वामीगण प्रथम पक्ष ने विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को यह विश्वांस दिलाया है कि :–

अ. प्रथमपक्ष भवन संख्या एन–9/46–1 स्थित आराजी नम्बर 38/1 का जुज रकबा 4787 वर्गफीट यानि 444.88 वर्गमीटर स्थित मोहल्ला पटिया, वार्ड नगवां, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी के मालिक व काबिज दखील हैं और जिसका पूर्ण विवरण इस प्रलेख के अन्त में दिये गये परिशिष्ट में वर्णित है। भूस्वामी प्रथम पक्ष पुनः यह घोषणा करते है कि उपरोक्त भूमि प्रत्येक प्रकार के भार, चार्ज, नुक्स इत्यादि से पूर्णरूप से मुक्त है और उसके सम्बन्ध में कोई विवाद या वाद किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन नहीं है और न ही उक्त भूमि के

Govind Agarwal Anoop Kumar

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

S 667981

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सम्बन्ध में कुर्की की कोई नोटिस ही जारी हुई है। यदि भविष्य में किसी भी स्तर पर इसके विपरीत कोई तथ्य पाया जायेगा तो उसके लिए भू-स्वामी प्रथम पक्ष जिम्मेदार होगें तथा ये द्वितीय पक्ष को क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार व पाबन्द होगें।

ब. भूस्वामी/प्रथम पक्ष के विरुद्ध किसी शासकीय प्राधिकरण द्वारा कोई मांग नहीं है। उक्त बाते जो भू-स्वामी प्रथम पक्ष द्वारा बताई गयी है, पर विश्वास करते हुए और उसे सही मानते हुए विकासकर्ता द्वितीय पक्ष ने उक्त भूमि को विकसित करने और उस पर फ्लैट/रिहायशी मकान/व्यवसायिक काम्पलेक्स/रो-हाउसिंग बनाने के लिए निम्न शर्तों पर सहमत है और उक्त काम्पलेक्स की योजना स्वीकृत होकर विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को मिलने के उपरान्त उस पर निर्माण कार्य व विकास करने का कार्य प्रारम्भ करने तथा इस अनुबन्ध के शर्तों के अनुसार अधिकार पत्र प्राप्त करके उक्त कार्य करने के लिए अपनी सहमति दिया है।

02. यह कि भू-स्वामी प्रथम पक्ष उक्त भूमि को पूर्ण रूप से रिक्त अवस्था में विकसित करने एवं उस पर फ्लैट/रिहायशी मकान/व्यवसायिक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 667982

काम्पलेक्स/रो–हाउसिंग का निर्माण करने के लिए विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगें।

03. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूखण्ड पर फ्लैट/रिहायशी मकान/व्यवसायिक काम्पलेक्स /रो–हाउसिंग बनाने की आवश्यक योजना व विवरण भू–स्वामी/प्रथम पक्ष की राय से तैयार कराया है तथा विकासकर्ता द्वितीय पक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी या अन्य सम्बन्धित विभाग से उसे स्वीकृत करायेगें और उसमें जो खर्च आयेगा, उसे विकासकर्ता द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करेगें।

04. यह कि यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से प्रश्नगत भूखण्ड पर द्वितीय पक्ष के नाम से वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा आशयिक भवन/काम्प्लेक्स का मानचित्र स्वीकृत होना सम्भव न हो तो उस स्थिति में सम्बन्धित भवन मानचित्र प्रथम पक्ष के नाम से स्वीकृत कराया जाना तय करार पाया गया है लेकिन उस दशा में उक्त स्वीकृत मानचित्र द्वितीय पक्ष का स्वीकृत मानचित्र माना व समझा जावेगा।

उदयनारायण

Govind Kejriwal Anoop Kejriwal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH S 667105

05. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष मानचित्र व योजना के अनुसार धन की व्यवस्था एवं तकनीक व अन्य उपयुक्त निर्माण एजेन्सी की व्यवस्था करके उपरोक्त विकास निर्माण व उक्त प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगें।

06. यह कि विकास एवं निर्माण कार्य में आने वाले समस्त मूल्य या खर्च जिसमें इमारती सामान, आर्किटेक्ट, इन्जिनियर, ठेकेदार व सक्षम एजेन्सी इत्यादि के खर्च शामिल है, को विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अदा करेंगें व वहन करेगें।

07. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष ने भू-स्वामी प्रथम पक्ष को यह विश्वास दिलाया है कि वह योजना के अनुसार समस्त निर्माण कार्य श्रेष्ठ गुणवत्ता के अनुसार व नियमों के अनुरूप मानक के अनुसार समान का इस्तेमाल करके करेगें और उसमें उसी अनुसार फिटिंग का कार्य भी रहेगा।

08. यह कि द्वितीयपक्ष प्रस्तावित निर्माण आदि का कार्य वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात साठ माह के अंदर कराने का पूर्ण प्रयास करेगा। यदि उक्त निर्माण कार्य किसी दैवीय आपदा के कारण समयावधि के अंदर पूर्ण नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में

उदयनारायण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 664439

प्रथमपक्ष की सहमति से उक्त समय को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें द्वितीयपक्ष को कोई उज्र व एजराज न है और आइन्दा होगा।

09. यह कि वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा प्रस्तावित, निर्माण का नक्शा स्वीकृत होने के उपरान्त प्रथम पक्ष भू-स्वामी द्वितीय पक्ष विकासकर्ता के बीच क्रमशः 34 प्रतिशत व 66 प्रतिशत अंश का विभाजन आपसी सहमति से कर लिया जावेगा।

10. यह कि समस्त निर्मित भाग का 34 प्रतिशत अंश मय कामन सुविधा को पाने के अधिकारी प्रथम पक्ष होगें जिसे वे अपनी इच्छानुसार विक्रय करने, बन्धक रखने, विक्रय अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने या किराये पर देने आदि के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकारी है व रहेगें और इस भाग का समस्त विक्रय मूल्य या एडवान्स या किराया आदि जो भी प्राप्त होगा उसे प्रथम पक्ष प्राप्त करेगें, जिससे द्वितीय पक्ष को कोई मतलब नहीं रहेगा।

11. यह कि समस्त निर्मित भाग का 66 प्रतिशत अंश मय कामन सुविधा व आनुपातिक भूमि आदि प्राप्त करने के अधिकारी द्वितीय पक्ष होगें और द्वितीय पक्ष अपने 66 प्रतिशत अंश निर्मित भाग मय कामन सुविधा आदि को अपनी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

S 664438

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से विक्रय करने या अन्य प्रकार से अन्तरण करने व किराये पर देने के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकारी है व रहेगें और इस सम्बन्ध में जो भी विक्रय मूल्य एडवान्स व किराया आदि प्राप्त होगा, उसे द्वितीय पक्ष प्राप्त करेगें और आवश्यक प्रलेख द्वितीय पक्ष स्वतंत्र रूप से अपने 66 प्रतिशत के बाबत् अपने अन्तरीति के हक में निष्पादित करने के लिए अपने हस्ताक्षर से स्वतंत्र रहेगें जिसके लिए प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को अधिकृत करते है।

12. यह कि भू-स्वामी/प्रथम पक्ष, विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष को इस अनुबन्ध पत्र में दिये गये शर्तो के तहत निर्माण कार्य हो सके इसलिए अधिकार पत्र द्वारा विकासकर्ता को अधिकृत करते है कि वह भू-स्वामी की जगह इस अनुबन्ध पत्र के तहत कार्य करने के लिए जहां-जहां आवश्यकता हो वहां-वहां अपना हस्ताक्षर करें व उसी अनुसार निर्माण व विकास के कार्य को करें।

13. यह कि भू-स्वामी प्रथम पक्ष विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को अधिकार देता है कि वह अपने 66 प्रतिशत अंश पर भूमि व निर्मित बिल्डिंग को बैंक या वित्तीय संस्था के यहां बन्धक रखकर आवश्यक धन प्राप्त कर बिल्डिंग निर्माण कार्य

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH S 664437

में लगावे व भू–स्वामी इस सम्बन्ध में अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र भी यदि आवश्यकता पड़े तो बैंक व सक्षम अधिकारी के यहां प्रस्तुत करेगें परन्तु जो भी ऋण द्वितीय पक्ष बैंक या वित्तीय संस्था से प्राप्त करेगें उसे अदा करने की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

14. यह कि विकासकर्ता निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार शिल्पकार, इंजीनियर, ठीकेदार, श्रमिक को स्वयं नियुक्त करेगा और निर्माण कार्य के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा, उसे उठायेगा तथा सभी भुगतान के लिए विकासकर्ता ही जिम्मेदार होगा इस सम्बन्ध में भू–स्वामी की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी।

15. यह कि विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष एवं प्रथमपक्ष के बीच यह तय हुआ है कि विकासकर्ता द्वितीयपक्ष, प्रथमपक्ष को मुबलिग 5,00,000/– (पाच लाख रूपया) अदा करेगा, जिसे प्रथमपक्ष के प्रत्येक हिस्सेदार उक्त सम्पत्ति में अपने मालिकाना अंश के अनुपात में प्राप्त करेंगे और यह भी तय हुआ है कि निर्माण के दौरान प्रथमपक्ष अपने अंश के फ्लैट/रिहायशी मकान/व्यवसायिक काम्पलेक्स को विक्रय अनुबन्ध करके या एडवान्स लेकर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु.5000
पाँच हज़ार रुपये
Rs.5000
FIVE THOUSAND RUPEES
INDIA
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
S 664443

सर्वप्रथम द्वितीयपक्ष को मुबलिग 5,00,000/–(पांच लाख रूपया) नगद अदा करेंगे और उसके बाद ही अन्य फ्लैट/रिहायशी मकान/व्यवसायिक काम्पलेक्स/रो–हाउसिंग का विक्रय मूल्य या एडवान्स प्रयोग में लायेगें।

16. यह कि तृतीयपक्ष को आराजियात जिसका विवरण इस एग्रीमेंट के अंत में दिया गया है, में किसी प्रकार का कोई स्वत्व, अधिकार अथवा अध्यासन हासिल नहीं है और न ही वह अपनी किसी सम्पत्ति के बाबत किसी भी प्रकार का करार द्वितीयपक्ष विकासकर्ता कर रही है। मात्र प्रथमपक्ष के रकबे व हिस्से को अपनी तरफ से पुष्ट कर रहे हैं।

17. यह कि फ्लैट/रिहायशी मकान/व्यवसायिक काम्पलेक्स/रो–हाउसिंग के सम्पूर्ण निर्माण के पश्चात् पक्षकारगण उक्त के छत पर भी अपना–अपना हक अपने–अपने अंशो के अनुरुप ही प्राप्त करेगा।

18. यह कि उपरोक्त प्रोजेक्ट जब पूरी तरह से क्रेतागण द्वारा क्रय कर लिया जावेगा तो उपरोक्त सम्पूर्ण काम्पलेक्स में रहने वाले क्रेतागण या निवासी आपस में कोई कम्पनी या सोसाइटी बनायेगें और उसके द्वारा सम्पूर्ण काम्पलेक्स मय कामन एरिया का रख रखाव अपने खर्च से करेगें।

रामनरेश कुमार उदय नारायण

Govind Kejriwal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

र प्रदेश UTTAR PRADESH

S 664444

19. यह कि यदि इस अनुबन्ध पत्र में शर्तो के सम्बन्ध में भू-स्वामी व विकासकर्ता के बीच यदि कोई विवाद पैदा होगा तो उपरोक्त विवाद को तय करने के लिए उसे पंच (आरबीट्रेटर) के समक्ष संदर्भित किया जायेगा जिसमें एक सदस्य भू-स्वामी द्वारा व दूसरा सदस्य विकासकर्ता द्वारा नामांकित किया जायेगा और उपरोक्त दोनों नामांकित, सदस्य आपसी सहमति से तीसरे सदस्य का मनोनीत करेगें आरबीट्रेशन की कार्यवाही अधिनियम संख्या 26 सन् 96 के प्राविधानों के अनुसार होगी और पंचगण संदर्भित विवाद पर अपना निर्णय देगे और पंचगण द्वारा दिया गया निर्णय उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

20. यह कि इस अुनबन्ध पत्र के सभी शर्तो की पूरी पाबन्दी उभय पक्षों पर उनके उत्तराधिकारियों व स्थानापन्नों पर लागू व बाध्यकारी होगी।

21. यह कि विवर्णित सम्पत्ति किसी पक्के/खड़न्जा या चौकायुक्त मार्ग अथवा जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित किसी मार्ग पर स्थित नहीं है बल्कि कच्चे रास्ते पर स्थित खुला भूखण्ड है जिसका कुल रकवा 4787 वर्गफीट यानि 444.88

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 664445

वर्गमीटर है, जिसका मूल्यांकन सरकारी दर 4000/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुबलिग 17,79,520/- रुपये होता है। चूंकि विवर्णित सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई निर्माण अथवा दरख्त मौजूद नहीं है लिहाजा कुल सरकारी मूल्यांकन 17,80,000/- रुपये पर 7 प्रतिशत की दर से मुबलिग 1,25,000/- रुपये का स्टाम्प द्वितीय पक्ष द्वारा अदा किया जा रहा है जिसमें पुष्टिकर्ता की स्टाम्प देयता भी सम्मिलित है।

उभय पक्षों ने यह अनुबन्ध पत्र अपने स्वस्थ और शारीरिक व मानसिक अवस्था में बिना किसी प्रलोभन या जोर दबाव नाजायज के तहरीर करके उसको अच्छी तरह से पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझ लिया है एवं उसके प्रभावों को अपने ऊपर अच्छी तरह से महसूस कर लिया है और समक्ष गवाहान उभय पक्ष यह इकरारनामा तहरीर करके उस पर अपना-अपना हस्ताक्षर बना दिया कि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 468142

परिशिष्ट

विवरण सम्पत्ति जो भू–स्वामी द्वारा विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को विकास एवं निर्माण हेतु दी गई है और जिसके बाबत यह अनुबन्ध पत्र तहरीर किया जा रहा है :–

भवन संख्या एन–9/46–1, जो खतौनी फसली सन् 1414 लगायत 1419 के खाता संख्या 407 में मुन्दर्ज आराजी नम्बर 38/1 पर स्थित है, रकबा 4787 वर्गफीट यानि 444.88 वर्गमीटर स्थित मोहल्ला पटिया, वार्ड नगवां, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी जो संलग्न नक्शा में लाल तिरछी लकीरों से प्रदर्शित है, जिसकी चतुर्दिक सीमाएं निम्नलिखित है:–

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000. FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 668141

पूरब : 20 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता।

पश्चिम : मकान बालमुकुन्द।

उत्तर : आराजी नम्बर 38/2.

दक्षिण : मकान दुर्गा, कैलाश, लालता, सालता, सेवा।

गवाहान :—

1. नाम Ashok Kumar Pandey.
   पिता का नाम Shiv Kr Pandey.
   पता K.61/96 Bulanala VARANASI
   हस्ताक्षर A.K. Pandey.

उदयनारायण

Govind Kejriwal

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 664488

2. नाम : राम किशुन

पिता का नाम : स्व० छोटे कुमार

पता : बड़ी बस्ती वाराणसी

हस्ताक्षर : राम किशुन

तहरीर तारीख :– 23–04–2011

मसविदाकर्ता :–
अजय कुमार श्रीवास्तव
एडवोकेट
कलेक्ट्रेट कचहरी, वाराणसी।

मनोज यादव

टाईपकर्ता :– मनोज यादव
कलेक्ट्रेट कचहरी, वाराणसी।

राम रतन कुमार उदय नारायण

Govind Agarwal Anoop Kumar Lal

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत
निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता राम रतन प्रसाद

दाहिनें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

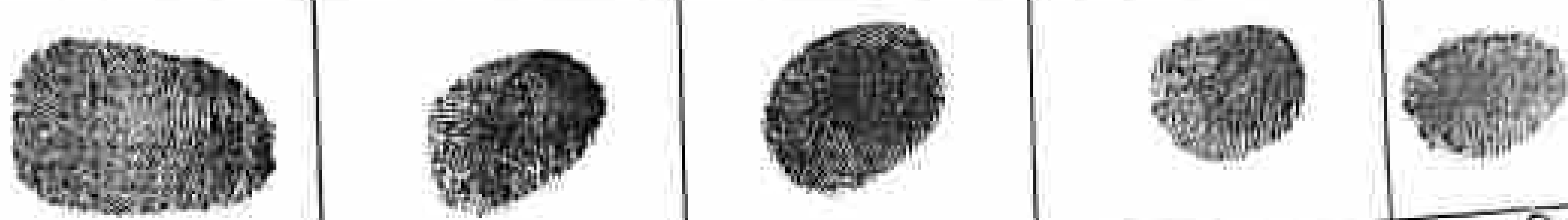

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर रामरतनप्रसाद

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता उदय नारायण

दाहिनें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर उदय नारायण

Scanned by CamScanner

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता अनुज कुमार डिडवानिया

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी		अनामिका	कनिष्ठका

बाये हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता गोविन्द केजरीवाल

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बाये हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर Govind Kejriwal

Scanned by CamScanner

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत
निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता अनूप कुमार सर्राफ

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बाये हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर AnoopKumar Saraf

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता विजय कुमार

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बाये हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

Vijay कुमार

Scanned by CamScanner

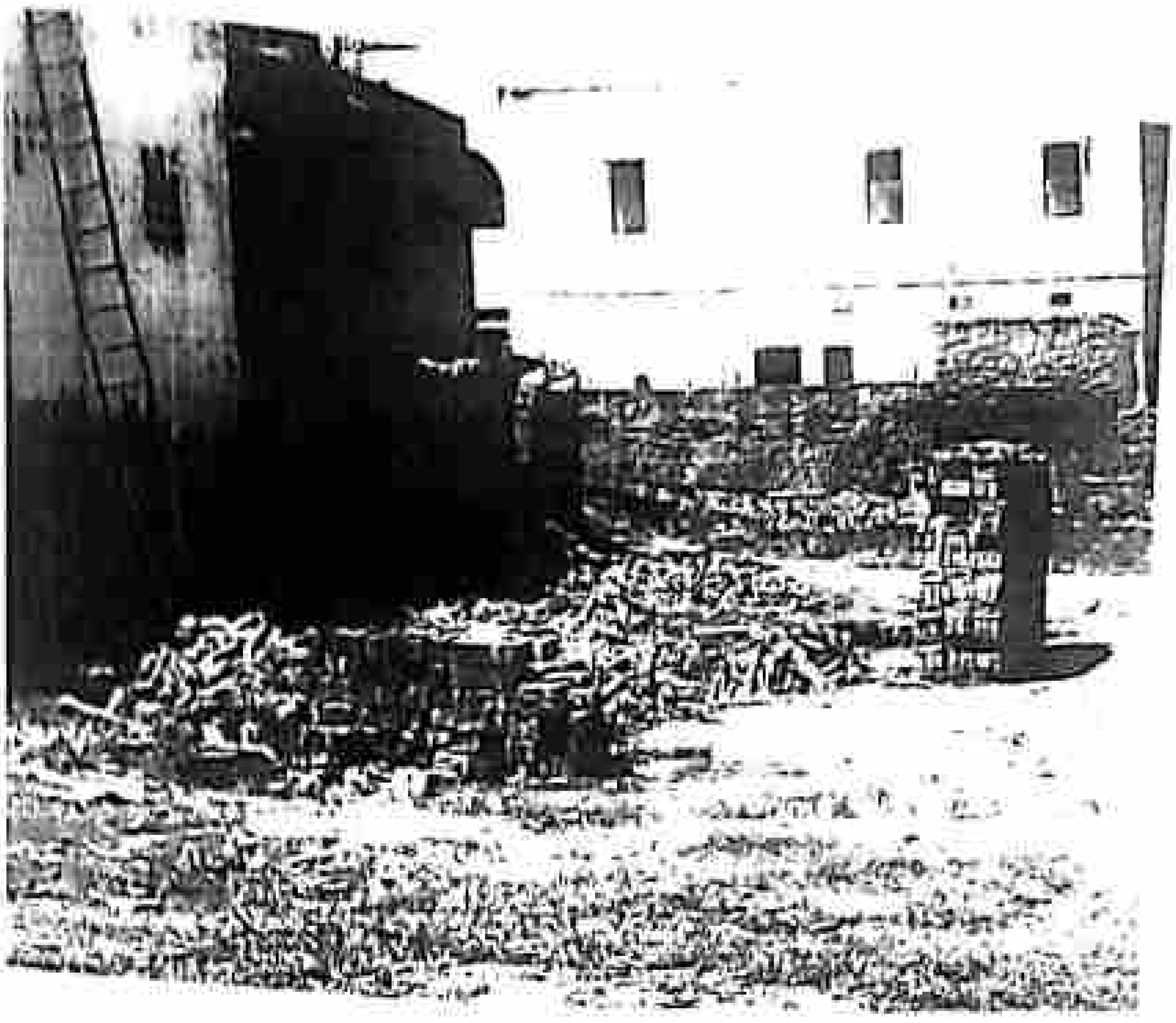

प्रथम पक्ष का विवरण :-
(1) रामजतन प्रसाद पुत्र स्वर्गीय केदार प्रसाद निवासी मकान नम्बर एन-9/46, मोहल्ला पटिया,
वार्ड नगवां, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी (2) उदय नारायन पुत्र लालचन्द
निवासी मकान नम्बर बी-32/16, मोहल्ला नरियां, वार्ड भेलूपुर, परगना देहात अमानत, तहसील व
जिला वाराणसी

द्वितीय पक्ष का विवरण :-
मेसर्स अंजनी रियलटर्स, बी-31/30, लंका, वाराणसी बजरिये पार्टनर अनुज कुमार डिडवानिया पुत्र
स्वर्गीय ओम प्रकाश डिडवानिया, निवासी 44ए लेन नम्बर-5 रविन्द्रपुरी कालोनी, वाराणसी व
गोविन्द केजरीवाल पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल केजरीवाल निवासी बी-31/30, लंका, वाराणसी व अनूप
कुमार सर्राफ पुत्र स्वर्गीय मदनलाल सर्राफ निवासी गुरुधाम कालोनी, वाराणसी।

तृतीय पक्ष का विवरण :-
विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय मेवालाल निवासीगण एन-9/46सी-1, बड़ी पटिया, वार्ड नगवां, परगना
देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी

सम्पत्ति का विवरण :-
भवन संख्या एन-9/46-1, जो खतौनी फसली सन् 1414 लगायत 1419 के खाता संख्या
407 में मुन्दर्ज आराजी नम्बर 38/1 पर स्थित है, रकबा 4787 वर्गफीट यानि 444.88
वर्गमीटर स्थित मोहल्ला पटिया, वार्ड नगवां, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी
जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :-
पूरब : 20 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता।
पश्चिम : मकान बालमुकुन्द।
उत्तर : आराजी नम्बर 38/2.
दक्षिण : मकान दुर्गा, कैलाश, लालता, सालता, सेवा।

रामजतन प्रसाद   उदय नारायण   विजय

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AB 911354

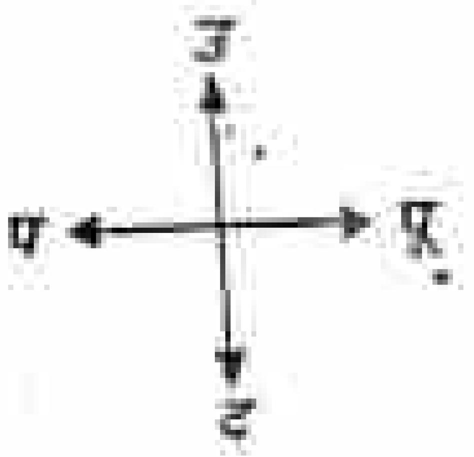

नक्शा नजरी बाबत

भवन संख्या एन–9/46–1, जो खतौनी फसली सन् 1414 लगायत 1419 के खाता संख्या 407 में मुन्दर्ज आराजी नम्बर 38/1 पर स्थित है, रकबा 4787 वर्गफीट यानि 444.88 वर्गमीटर स्थित मोहल्ला पटिया, वार्ड नगवां, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी।

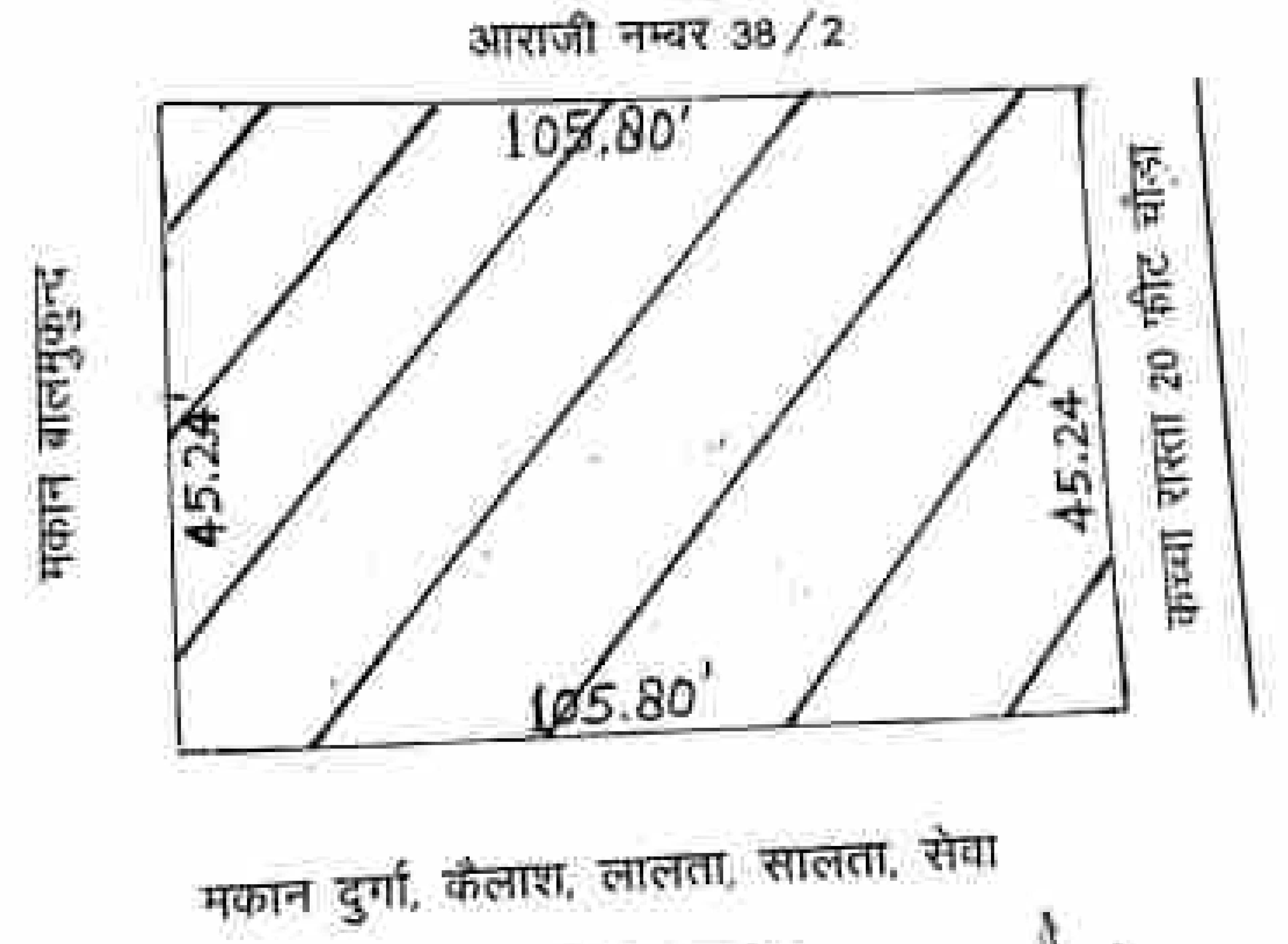

Drawn by Manoj Yadav
Ch No.3, Collectorate Court, Varanasi